मोहरी बनाम अनिता

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
दावा क्रं.न. – 119/2024	

17.06.2025 पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती हैं, विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:51 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
119 / 2024	2024 / 241	01.08.2024	17.06.2025 (अंतिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. मोहरी पत्नी बंशीधर उम्र 75 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम त्रिलोकपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राजस्थान

——वादीया——

बनाम्

1. सुनिता पत्नी ललित नारायण आयु 48 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम त्रिलोकपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0
2. खेमसिंह पुत्र अणची देवी आयु 63 वर्ष
3. रामेश्वर पुत्र अणची देवी आयु 50 वर्ष
4. गीता देवी पुत्री अणची देवी आयु 72 वर्ष
5. भग्गू देवी पुत्री अणची देवी आयु 52 वर्ष
6. बलदेवसिंह पुत्र ज्यानकी देवी आयु 68 वर्ष
7. शिवसहाय पुत्र ज्यानकी देवी आयु 68 वर्ष
8. नरेन्द्र पुत्र ज्यानकी देवी आयु 55 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

9. कोयली देवी पुत्री ज्यानकी देवी आयु 72 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम त्रिलोकपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0

10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना (राज0)

—प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

श्री फुलचन्द सामोता, एड0 वादीया अभिभाषक।

श्री बनवारी लाल कुडी, एड0 प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6 ता 8 की ओर से अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से

दावा बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि तन ग्राम त्रिलोकपुरा पटवार हल्का सिहोडी भू0 अभि0 नि0 दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 588 रकबा ... में से हिस्सा 1/4 की रिकार्डेड काश्तकार हैं एवं बाकी हिस्सा की खातेदारी भू–अभिलेख जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

1/4 हिस्सा मृतका अणची पत्नी मोतुराम व 1/4 हिस्सा मृतका ज्यानकी पत्नी गणपतराम एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादिया संख्या-1 के नाम दर्ज है। मृतक खातेदार अणची पत्नी मोतुराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या-2 ता 5 है एवं मृतक खातेदार ज्यानकी पत्नी गणपतराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या-6 ता 9 है जिनको आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया हैं। उक्त भूमि वर्णित भूमि खसरा नम्बर 588 रकबा 2.4400 हैक्टर में वादिया 1/4 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है एवं वादिया अपनी उक्त 1/4 हिस्सा की भूमि पर मौके पर बाहमी बंटवारा के अनुसार खसरा नम्बर 588 रकबा 2.4400 हैक्टर में से रकबा 0.6100 हैक्अर भूमि दर्शित नजरी नक्शा लालस्याही पर काबिज काश्त चली आ रही है। इसलिए वादिया भूमि का विधिक विभाजन करवाकर अपनी उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में अलग से मिन/बटटा नम्बर डलवाकर अलग से दर्ज करवाने एवं अलग से लगान कायम करवाने की अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को वादिया की हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत करने को कोई अधिकार किसी किश्म का नही है। यही बिनाय दावा वादिया प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिया का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि तन ग्राम त्रिलोकपुरा पटवार हल्का सिहोडी भू० अभि० नि० दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज० में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 588 रकबा 2.4400 हैक्टर का पक्षकारान वादिया व प्रतिवादी संख्या- 1 ता 9 के मध्य मोके के बाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा खातेदारी अनुसार करवाया जाकर वादिया को उसकी हक हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 588 रकबा 2.4400 हैक्टर में से रकबा 0.6100 हैक्टर भूमि दर्शित नजरी नक्शा लालस्याही का राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में अलग से मिन/बटटा नम्बर डालकर अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाने ... अपने वादपत्र में किया है। दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण ... एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

इस पर वादीया के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 स्वयं उपस्थित आये। प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 6 ता 8 ओर से श्री **बनवारी लाल कुडी, एड0** ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एंव शेष प्रतिवादीगण संख्या– 4, 5, 9 व 10 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या– 4, 5, 9 व 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादीया ने प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने तथा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने ''पीडी जारी करने हेतु सहमत है, रास्ता काट कर'' पत्रावली की आदेशिका पर अंकित किया। वकुलाय उभय पक्षकारान ने प्रकरण में पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमती व्यक्त कर दिये जाने से वादपत्र के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किये ज़ाने हेतु बहस बहुपक्षीय सुनी गई। वकील वादीया के निवेदन पर प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.11.2024 को जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिकी दिनांक 25.11.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्दे''ाानुसार प्रारम्भिक डिकी जारी की जाकर पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पत्रांक कमांक/भू.अ./2025/1298 दिनांक दिनांक 01.05.2025 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

वकील वादीयान वकील प्रतिवादी ने उपस्थित होकर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अंकित कर दिये जाने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीया ने सहमत होते हुए उसके अनुसार वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन वकील वादीया ने किया। वकुलाय उभय पक्षकारान ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव में अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

:क्रियात्मक आदेश :-

उपर्युक्त विश्लेषण से वादीया का वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पत्रांक कमांक/भू.अ./2025/1298 दिनांक 01.05.2025 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव [illegible] ट्रस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जमाबंदी के अनुसार खाते की प्रविष्टि के अनुसार खाते की स्थिति :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
51	1 अणची पत्नी गोटूराम हिस्सा 1/4 2. ज्यानकी देवी पत्नि गणपतराम हिस्सा 1/4 3. मोहरी देवी पत्नि बंशीधर हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. मढोली 4. सुनिता पत्नि ललित नारायण हिस्सा 1/4 जाति ब्रहमण सा. देह खातेदार	588	2.44	बारानी–1	
	योग खाता	किता–1	2.44		

मौके के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	मोहरी देवी पत्नी बंशीधर हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. मढोली खातेदार	588/1	0.[illegible]	बारानी1	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

	योग खाता	किता–1	0.60	बारानी1	
	सुनिता पत्नि ललित नारायण हिस्सा पूर्ण जाति ब्रह्मण सा. देह	588/2	0.60	बरानी 1	
	योग खाता	किता–1	0.60	बारानी 1	
3	अणची देवी पत्नि मोटूराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. मढोली खातेदार	588/3	0.60	बारानी 1	
	योग खाता	किता–1	0.60	बारानी 1	
4	ज्यानकी पत्नि गणपतराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. मण्ढोली खातेदार	588/4	0.60	बारानी 1	
	योग खाता	किता–1	0.60	बारानी 1	
5	अणची देवी पत्नि मोटूराम हिस्सा 1/4 ज्यानकी देवी पत्नि गणपतराम हिस्सा 1/4 मोहरी पत्नि बंशीधर हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. मण्ढोली सुनिता पत्नि ललित नारायण हिस्सा 1/4 जाति ब्रह्मण सा. देह खातेदार	588/5	0.04	बारानी 1	
	योग खाता	किता–1	0.04	बारानी 1	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नोटः— 1. चूंकि तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव में नवीन प्रस्तावित खसरा नम्बर 558/5 रास्ते के रूप में रखा गया है इसलिए नवीन प्रस्तावित खसरा नम्बर 588/5 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावें।

2. **बैंक ऋण पक्षकार अपना—अपना जमा करावें।**

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक—पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग—अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पंर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
~~सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)~~
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
~~श्रीमाधोपुर (सीकर)~~
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
~~सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)~~
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
~~श्रीमाधोपुर (सीकर)~~
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:05:51 IST
Reason: SelfAttested